प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
(युगल पीठ)

कोरम - माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक अपील क्रमांक - 284/1991

आवेदक/ अपीलार्थी : मध्य प्रदेश शासन (वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनावेदक/ प्रत्यर्थी :

1. राधेश्याम, उम्र 27 साल, आत्मज रामभरोष यादव, निवासी हथनेवरा, थाना चाम्पा, जिला बिलासपुर
2. हीरादास, उम्र 27 साल, आत्मज नत्थूदास पनका, निवासी कोसमपाली, थाना रायगढ
3. रामलाल, उम्र 24 साल, आत्मज झाडूराम गोड़, निवासी पतरापाली, थाना रायगढ़
4. जोहन, उम्र 21 साल, आत्मज झंगलू उरांव, निवासी पतरापाली, थाना रायगढ़
5. बसंतलाल, उम्र 25 साल, आत्मज जुगलाल धोबी, निवासी किरोड़ीमलनगर, थाना रायगढ़
6. कौशल प्रसाद, उम्र 18, आत्मज गणेशराम, निवासी उसरौट, थाना रायगढ़
7. दिलचंद, उम्र 20, आत्मज चंदनसिंह यादव, निवासी उसरौट, थाना रायगढ़ (मृत- आदेश दिनांक 29.6.2009 द्वारा अपील का उपशमन हो गया।)
8. प्यारी, उम्र 35 साल, आत्मज भागीरथी, गांडा,

निवासी कलबा, थाना खरसिया

9. गणेश प्रसाद, उम्र 28 साल, आत्मज घासीराम उर्फ घिसाराम, निवासी बोलदाखारा, चाम्पा, जिला बिलासपुर
10. विरेन्द्र कुमार, उम्र 28 साल, आत्मज मातादी चौहान, निवासी कोसमपाली, थाना रायगढ़
11. मुरलीधर, उम्र 21 साल, आत्मज जेठूराम गोड़, निवासी दरंपा, थाना बाराद्वार जिला बिलासपुर

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 (1) के अधीन दांडिक अपील)

उपस्थित –

अपीलार्थी/राज्य हेतु	:	श्री अखिल मिश्रा, उप-शासकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण क्र० 2, 4, व 5 हेतु	:	श्री एस०आर०जे० जयसवाल एवं श्री राजेंद्र त्रिपाठी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण क्र० 3 व 11 हेतु	:	श्री आशीष गुप्ता, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(25.08.2010 को परिदत्त)

इस माननीय न्यायालय का अधोलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया।

1. दिनांक 04.12.1990 को सत्र विचारण क्रमांक 50/89 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित निर्दोषता के निर्णय से व्यथित होकर, राज्य द्वारा न्यायालय की अनुमति से यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

2. आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

3. अपील की लंबन दौरान प्रत्यर्थी क्र० 7 दिलचंद की मृत्यु हो जाने के कारण आदेश दिनांक 29.06.2009 द्वारा प्रत्यर्थी क्र० 7 के विरुद्ध दायर अपील का उपशमन कर उसे खारिज कर दिया गया।

4. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि– शिकायतकर्ता ताराचंद पटेल (अ०सा०1) ग्राम उसरौफा का निवासी था। दिनांक 31.01.1989 एवं 01.02.1989 की मध्यरात्रि में उसके घर में डकैती की घटना घटित हुई। आरोप है कि डकैत उसके घर में घुसे, जो चाकू इत्यादि से सुसज्जित थे; उन्होंने ताराचंद को चोटें पहुँचाईं तथा उसके घर से आभूषण एवं ₹2,500/- नगद लूट लिए। आगे आरोप है कि डकैतों ने जाते समय शिकायतकर्ता (अ०सा०1), उसकी पत्नी कौशल्या बाई (अ०सा०9) एवं पुत्र मुकेश को रस्सियों से बाँध दिया। कुछ समय पश्चात किसी प्रकार वे स्वयं को मुक्त कर पाए, तत्पश्चात ताराचंद अपने भतीजे नियतराम के घर गया और उसे समस्त घटना की जानकारी दिया। प्रातःकाल ताराचंद (अ०सा०1) द्वारा थाना कोतवाली, रायगढ़ में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराया गया, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/2) पंजीबद्ध किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण के दौरान आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण को हिरासत में लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उनका मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया। राधेश्याम का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श-पी/20, हीरादास का प्रदर्श-पी/19, रामलाल का प्रदर्श-पी/25, जोहन का प्रदर्श-पी/23, बसंतलाल का प्रदर्श-पी/27, कौशल प्रसाद का प्रदर्श-पी/29, दिलचंद का प्रदर्श-पी/31, प्यारी का प्रदर्श-पी/33, गणेश प्रसाद का प्रदर्श-पी/7, वीरेन्द्र कुमार का प्रदर्श-पी/11 तथा मुरलीधर का प्रदर्श-पी/9 है।

उपरोक्त मेमोरेंडम कथन के आधार पर, राधेश्याम के मेमोरेंडम कथन के आधार पर एक जोड़ी चाँदी की पायल, सोने की माला (चार फोकला माला), चार्जेबल टॉर्च, सफेद रंग

का फोम बैग तथा बटनदार चाकू को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/21 के अधीन जप्त किया गया। हीरादास के मेमोरेंडम कथन के आधार पर एक जोड़ी चाँदी की पायल, सोने की माला, तीन बैटरी सहित एवरेडी टॉर्च तथा एवन साइकिल को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/22 के अधीन जप्त किया गया। रामलाल के मेमोरेंडम कथन के आधार पर चाँदी का बेल्ट एवं दो बैटरी सहित एक टॉर्च को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/26 के अधीन जप्त किया गया। जोहन के मेमोरेंडम कथन के आधार पर सोने की माला एवं एटलस साइकिल को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/24 के अधीन जप्त किया गया। बसंतलाल के मेमोरेंडम कथन के आधार पर चाँदी का बेल्ट एवं एवन साइकिल को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/28 के अधीन जप्त किया गया। कौशल प्रसाद के मेमोरेंडम कथन के आधार पर सोने की एक जोड़ी कान की बालियाँ को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/30 के अधीन जप्त किया गया। दिलचंद के मेमोरेंडम कथन के आधार पर सोने की एक जोड़ी कान की बालियाँ को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/32 के अधीन जप्त किया गया। प्यारी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर एक सोने की माला को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/34 के अधीन जप्त किया गया। गणेश प्रसाद के मेमोरेंडम कथन के आधार पर एक सोने की चेन एवं एक सोने की माला को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/8 के अधीन जप्त किया गया। वीरेन्द्र कुमार के मेमोरेंडम कथन के आधार पर सोने की माला (चार फोकला माला) को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/12 के अधीन जप्त किया गया तथा मुरलीधर के मेमोरेंडम कथन के आधार पर एक सोने की माला, सोने की नथ एवं बटनदार चाकू को जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी/10 के अधीन जप्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जप्त की गई संपत्ति की पहचान कार्यवाही नायब तहसीलदार अरविंद कुमार दीक्षित (अ०सा०11) द्वारा दिनांक 24.03.1989 को किया गया, जिसमें ताराचंद (अ०सा०1) एवं कौशल्या बाई (अ०सा०9) ने उक्त संपत्ति की पहचान की। इस संबंध में पहचान पंचनामा प्रदर्श-पी/4 तैयार किया गया।

प्रत्यर्थीगण की पहचान हेतु पहचान कार्यवाही (टी०आई०पी०) भी जिला जेल, रायगढ़ में दिनांक 13.03.1989 को किया गया, जिसमें ताराचंद ने छ: प्रत्यर्थीगण, हीरादास, वीरेन्द्र कुमार, गणेश प्रसाद, मुरलीधर, रामलाल एवं राधेश्याम, की पहचान की, तथा कौशल्या बाई ने दो प्रत्यर्थीगण, बसंतलाल एवं गणेश, की पहचान की। इस संबंध में तैयार पहचान पंचनाम प्रदर्श-पी/3 एवं प्रदर्श पी/36 है। सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायगढ़ को उपार्पित किया गया। वहाँ से यह मामला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के न्यायालय को स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ, जहाँ विचारण उपरांत आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.12.1990 द्वारा प्रत्यर्थीगण/आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण की पहचान संबंधी साक्ष्य तथा यह तथ्य कि संपत्ति प्रत्यर्थीगण के कथन के आधार पर जप्त की गई थी, पर विश्वास नहीं किया है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

6. राज्य/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा शिकायतकर्ता के घर में दिनांक 31.01.1989 एवं 01.02.1989 की मध्यरात्रि को डकैती की घटना को अंजाम दिया गया जिनमें से छः प्रत्यर्थीगण की पहचान, पहचान कार्यवाही में विधिवत् किया गया; उपर्युक्त आभूषण प्रत्यर्थीगण के कथनों के आधार पर की गई बरामदगी में जप्त किए गए तथा उन संपत्तियों की पहचान शिकायतकर्ता एवं उसकी पत्नी द्वारा विधिवत् किया गया। अतः माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया जाना विधि-विरुद्ध है।

7. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण श्री एस०आर०जे० जायसवाल, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी एवं श्री अशिष गुप्ता द्वारा इन तर्कों का विरोध किया गया तथा उन्होंने सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया है।

8. हमने उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन भी किया।

9. ताराचंद पटेल (अ०सा०-1) के अनुसार, घटना दिनांक की रात्रि को उनके घर में बिजली नहीं थी। डकैत टॉर्च लिए हुए थे। उन्हीं के टॉर्च की रोशनी में वह डकैतों का चेहरा देख पाया था। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि सभी डकैत पैंट एवं कमीज़ पहने हुए थे। माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा यह अवलोकन किया गया कि ताराचंद द्वारा प्रथम सूचना पत्र (प्र०पी०1) में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि डकैत टॉर्च लिए हुए थे। साक्षी द्वारा उनके हुलिया के बारे में भी कोई विवरण नहीं दिया गया है। न्यायालय में इस साक्षी ने कथन किया है कि डकैत चाकू लिए हुए थे, जबकि प्रथम सूचना पत्र (प्र०पी०1) में साक्षी ने बताया है कि एक डकैत पाइप लिए हुए था तथा कुछ डकैत चाकू से सज्जित थे। माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा यह भी अवलोकित किया गया है कि ताराचंद ने प्रथम सूचना पत्र में उस हाथापाई का भी उल्लेख नहीं किया है जो उसके अनुसार, डकैतों और इस साक्षी के बीच हुई थी। ताराचंद के अनुसार उसका पुत्र ही उनके रस्सियों को खोला था परन्तु अभियोजन द्वारा इस साक्षी के पुत्र का परीक्षण नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि ताराचंद का भतीजा नियतराम तथा पड़ोसी लक्ष्मण और नरेन्द्र एवं चौकीदार चन्दलाल का भी परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है जबकि ताराचंद द्वारा इन व्यक्तियों को डकैती की घटना के तत्काल पश्चात् घटना की जानकारी दिया गया था। इसी कारण से, ताराचंद (अ०सा०1) के मौखिक साक्ष्य जिसमें प्रत्यर्थीगण के संलिप्तता का उल्लेख

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है, को अविश्वसनीय माना गया है। सत्र न्यायाधीश का यह अभिमत रहा कि शिकायतकर्ता के घर में किसी प्रकार की रोशनी नहीं होने के कारण डकैतों की टॉर्च की रोशनी में उनका पहचान कर पाना संभव नहीं था। हमें यह प्रतीत होता है कि अभियोजन का यह कथन ही नहीं रहा है कि डकैत टॉर्च से सज्जित थे और उन्होंने उसका इस प्रकार उपयोग किया कि टोर्च की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी हो, जिससे घर के सदस्य उन्हें अंधेरी रात में पहचान पाते। सामान्यतः डकैती करने वाले व्यक्ति इस प्रकार टॉर्च को एक-दूसरे के चेहरों पर नहीं डालते कि आहत उन्हें पहचान सकें। अतः सत्र न्यायाधीश द्वारा अवधारित यह दृष्टिकोण युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि अंधेरी रात में जब घर में कोई अन्य प्रकाश का स्रोत नहीं था, तब डकैतों की टॉर्च की रोशनी में उनकी पहचान कर पाना संभव नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी क्र० 1 से 8 को दिनांक 12.02.1989 को गिरफ्तार किया गया, प्रत्यर्थी क्र० 9 को दिनांक 21.02.1989 को गिरफ्तार किया गया तथा प्रत्यर्थी क्र० 10 एवं 11 को दिनांक 24.02.1989 को गिरफ्तार किया गया। पहचान कार्यवाही दिनांक 13.03.1989 को आयोजित की गई। निर्णय के कंडिका 19 में यह उल्लेख है कि प्रारंभ में पहचान कार्यवाही आयोजित किए जाने की तिथि 09.03.1989 निर्धारित की गई थी किंतु किसी कारणवश उक्त दिनांक को पहचान कार्यवाही आयोजित नहीं हो सकी और अंततः दिनांक 13.03.1989 को आयोजित किया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को दिनांक 11.03.1989 को प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 25.02.1989 को रिमांड पर भेजा गया था, तथापि साक्ष्य में यह परिलक्षित नहीं है कि उन्हें बापर्दा (चेहरा ढककर) प्रस्तुत किया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में दिनांक 09.03.1989 को पहचान कार्यवाही आयोजित न किए जाने की घटना के दृष्टिकोण में दिनांक 13.03.1989 को आयोजित पहचान कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होता है।

11.सत्र न्यायाधीश द्वारा आगे यह अवलोकन किया गया कि कौशल्या बाई (अ०सा०-9) के माध्यम से आयोजित पहचान कार्यवाही में उसने दोनों प्रत्यर्थी अर्थात बसंतलाल एवं गणेश प्रसाद को सही रूप से पहचान लिया था, तथापि उसने मंग्लू, दिनेश, मट्टे, जसविंदर तथा अब्दुल सत्तार को भी पहचान लिया था, जो केवल प्रत्यर्थीगण के साथ मिलाए गए थे और प्रकरण में अभियुक्त नहीं थे। अतः कौशल्या बाई (अ०सा०-9) के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास पाया गया है। इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा यह भी अवलोकन किया गया कि यद्यपि पहचान कार्यवाही आयोजित करने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट का परीक्षण किया गया है किंतु पहचान कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षीगण का परीक्षण नहीं किया गया है। सत्र न्यायाधीश द्वारा ने यह भी अवलोकन किया गया कि जब अधिकांश अभियुक्तगण को दिनांक 12.02.1989 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें रिमांड में लिया जा रहा था, तब उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में पहचान कार्यवाही आयोजित करने में हुआ विलंब अभियोजन के लिए घातक सिद्ध होता है। इन्हीं आधारों पर सत्र न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण की पहचान संबंधी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.जहाँ तक बरामदगी पंचनामा का संबंध है, इस प्रकार की बरामदगियों के लिए दो सामान्य पंच साक्षी थे, जिनमें से केवल भूजबल प्रसाद यादव (अ०सा०-10) का परीक्षण किया गया है। सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण/प्रत्यर्थीगण के कथनों के आधार पर की गई बरामदगियों के संबंध में इस साक्षी के कथन पर भरोसा नहीं किया है। हम यह भी पाते हैं कि विवेचक द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन तैयार किए गए किसी भी बरामदगी पंचनामा पर प्रत्यर्थीगण के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान अंकित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जयकरण सिंह बनाम पंजाब राज्य**, जो कि **ए०आई०आर० 1995 एस०सी० 2345** में प्रकाशित है, के प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि “साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के

अधीन अभिलेखित कथन पर अभियुक्त के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान का अभाव उस कथन की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमज़ोर कर देता है।" अतः सत्र न्यायाधीश द्वारा भूजबल प्रसाद यादव (अ०सा०-10) के कथन पर अविश्वास करने हेतु दिए गए सशक्त कारणों एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी बरामदगी पंचनामा पर प्रत्यर्थीगण के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं है, उक्त पंचनामा की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। इन्हीं तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, सत्र न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्षित किया गया कि यह संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सका है कि पुलिस द्वारा जप्त किए गए आभूषण वास्तव में संबंधित प्रत्यर्थीगण के कथनानुसार उन्हीं के निशानदेही पर बरामद किए गए थे। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिकोण में, संपत्ति की पहचान का आरोप प्रत्यर्थीगण पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **<u>बुद्ध सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य</u>** जो कि (2006) 9 एस०सी०सी० 731 में प्रकाशित है, के कंडिका 9 में यह अवधारित किया गया है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के प्रकरण में, जहाँ दो दृष्टिकोण संभव हों, वहाँ उच्च न्यायालय सामान्यतः दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त नहीं करता, भले ही अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण अधिक संभावित प्रतीत होता हो। तथापि, दोषमुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विकृत अथवा अन्यथा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय यह भी विचार करने का अधिकार रखता है कि क्या तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुँचते समय विचारण न्यायालय ग्राह्य साक्ष्य के विवेचन में विफल हुआ है अथवा विधि के प्रतिकूल अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का विवेचन

किया है। इसी प्रकार, सबूत के भार को गलत रूप से अधिरोपित किया जाना भी अपीलीय न्यायालय के परीक्षण का विषय हो सकता है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **वी०एन० रथीश बनाम केरल राज्य**, जो कि **ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2667** में प्रकाशित है, यह अवधारित किया गया है कि दोषमुक्ति के आधार बने साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने पर अपीलीय न्यायालय के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दोषमुक्ति से अभियुक्तगण की निर्दोषता की अनुमानित धारणा और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि दांडिक मामलों में न्याय-प्रशासन की संपूर्ण संरचना में प्रवाहित होने वाला स्वर्णिम सूत्र यह है कि यदि प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हों—एक अभियुक्तगण के दोष की ओर इंगित करता हो और दूसरा उनके निर्दोषता की ओर—तो वह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्तगण के पक्ष में हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे यह भी अवधारित किया गया कि न्यायालय का परम कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय का दुरुपयोग न होने पाए। दोषी के दोषमुक्त हो जाने से होने वाला न्याय का दुरुपयोग उतना ही गंभीर है जितना किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने से। ऐसे प्रकरण में, जहाँ ग्राह्य साक्ष्य की उपेक्षा की गई हो और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया हो, अपीलीय न्यायालय पर यह दायित्व होता है कि वह यह सुनिश्चित करने हेतु साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे कि क्या वास्तव में किसी अभियुक्त ने कोई अपराध किया है अथवा नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भगवान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** जो कि 2002 (2) सुप्रीम 567 में प्रकाशित है, में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया है। आगे यह भी प्रतिपादित किया गया कि दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल उसी स्थिति में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, जब इसके लिए अत्यंत सशक्त एवं ठोस कारण विद्यमान हों। यदि आक्षेपित निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टतः अविवेकपूर्ण हो तथा सुसंगत एवं विश्वसनीय सामग्री को प्रक्रिया के दौरान अन्यायपूर्वक नजरअंदाज कर दिया गया हो, तो वह हस्तक्षेप हेतु एक सशक्त कारण माना जाएगा।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य**, जो कि (1996) 9 एस०सी०सी० 225 में, यह अवधारित किया गया कि "दोषमुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम इस प्रश्न का उत्तर तलाशना होता है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण, प्रत्यक्षतः गलत अथवा प्रमाणिक रूप से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। यदि अपीलीय न्यायालय उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देता है, तो दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि अपीलीय न्यायालय, अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालता है कि उपर्युक्त में से किसी भी दोष के कारण दोषमुक्ति का निर्णय किसी भी रूप में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, तभी और केवल तभी वह साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँच सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हमने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परीक्षण इस दृष्टि से किया है कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या सत्र न्यायाधीश द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण विकृत है अथवा अन्यथा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, हमें दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने हेतु कोई भी सशक्त एवं ठोस कारण परिलक्षित नहीं होता है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें निर्णय को अविवेकपूर्ण कहा जा सके अथवा ऐसा मामला हो जिसमें साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुसंगत एवं विश्वसनीय सामग्री की उपेक्षा की गई हो। सत्र न्यायाधीश द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर विचार किया गया है तथा ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के

मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय द्वारा लिया जा सकने वाला संभावित दृष्टिकोण प्रतीत होता है।

17.उपर्युक्त कारणों के आलोक में, हमें इस अपील में कोई ठोस आधार परिलक्षित नहीं होता है। अतः राज्य द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिसाबित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Soumitra Kesharwani, Advocate